भारतीय संविधान में प्रावधानों के माध्यम से दलित वर्ग के लिए सामाजिक न्याय

कविता महावर
शोधार्थी,
सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय ,
महाविद्यालय, अजमेर
Email Id: kavitamahawar80@gmail.com

डा0 आलोक श्रीवास्तव
सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय
महाविद्यालय, अजमेर

Reference to this paper should be made as follows:

Received:
Approved:

कविता महावर
डा0 आलोक श्रीवास्तव

भारतीय संविधान में प्रावधानों के माध्यम से दलित वर्ग के लिए सामाजिक न्याय

RJPP 2020,
Vol. XVIII, No. 1,
pp.068-073
Article No. 007

Online available at *:*
https://anubooks.com/?page_id=6391

सारांश

भारतीय संविधान जिसकी नीवं बाबासाहेब आंबेडकर के द्वारा रखी गई । वे स्वयं दलित होने के कारण उस पीड़ा को अच्छी तरह से महसूस कर सकें जो समाज द्वारा वर्णाश्रम व्यवस्था में प्रचलित थी। इसी संविधान निर्माण में बाबा साहब ने दलितों के लिए सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में ऐसे प्रावधानों को रखा जो वर्तमान समय में भी दलित वर्ग को न्याय दिलाते हैं एवं अपनी योग्यता को हर क्षेत्र में साबित करने का अवसर प्रदान करते हैं।

मुख्य शब्दः *संविधान, दलित, न्याय, प्रावधान, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र।*

प्रस्तावना

वर्णाश्रम व्यवस्था की जड़ें भारत में इतनी गहरी है कि पिछड़े इलाकों में आज भी इसी प्रथा को अपनाया जाता है लेकिन बाबा साहब ने इस व्यवस्था को बदलने के लिए उन लोगों को दूसरों के अत्याचार से बचाने के लिए संविधान में ऐसे नियम व कानूनों का प्रावधान रखा जो इनके अधिकारों की रक्षा करता है।

दलितों को इन नियमों व कानूनों की जानकारी है और वह शिक्षित हैं तो अपने अधिकारों की लड़ाई वें स्वयं कर सकते हैं जैसे बाबा साहब ने केवल अपने लिए नहीं वरन उन समस्त लोग जो दलित समुदाय के नाम से जाने जाते हैं उन सभी के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी।

इन लोगों को आर्थिक राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में न्याय दिलाने के लिए कई प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था रखी जिससे दलित समुदाय अपनी योग्यता के माध्यम से उन क्षेत्रों में अपने को आगे बढ़ाएं जिन क्षेत्रों में कभी वर्णाश्रम व्यवस्था ने उनको देखने तक की भी इजाजत नहीं दी थी।

आज का भारतीय सविधान दलितों को हर क्षेत्र में अपनी षिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करता है।

जैसा कि बाबा साहब ने अपने को शिक्षा के माध्यम से ही इस काबिल बनाया कि दलित होने के बावजूद उन्हें भारतीय संविधान के लिए आमंत्रित किया गया इसी योग्यता के द्वारा उन्होंने संविधान की प्रावधानों की व्याख्या की एवं आर्थिक राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्रों में दलितों के विकास को लेकर उन्हें न्याय दिलाया।

आर्थिक विचार

बाबासाहेब को दलित वर्ग की आर्थिक स्थिति का पूरी तरह पता था उन्होंने कहा कि दलित वर्ग सामाजिक प्रतिष्ठा से नहीं धन दौलत से भी वे पूरी तरह वंचित है। अतः उन्हें आर्थिक शोषण के खिलाफ लड़ना होगा।

बाबा साहेब ने अपने ज्ञापन में सुझाव दिया कि आर्थिक शोषण को समाप्त करने की दृष्टि से मूल उद्योगों को सारा स्वामित्व और प्रबंधन राज्य के हाथों में रहे ना कि निजी व्यक्तियों के हाथों में उनके उद्योगों से संबंधित कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हो।

आर्थिक प्रगति के लिए उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में जमीदारों मालिकों काश्तकारों आदि को मुआवजा देकर राज्य भूमि का अधिग्रहण करें और उस पर सामूहिक खेती कराई जाए।

बाबासाहेब ने जमीदारी प्रथा की समाप्ति का भी मुद्दा रखा उनका कहना था कि कृषि हमारे राज्य का मुख्य उद्योग बने इसके लिए कृषि की जमीन के लिए जमीदारी प्रथा को समाप्त किया जाए इसमें ना कोई जमीदार होगा ना काश्तकार होगा और कोई मजदूर भूमिहीन नहीं होगा।

किसानों की प्रगति व स्वयं की भूमि के लिए खोती पद्धति का भी समापन किया जिससे किसान अपनी स्वयं की जमीन पर खेती कर सकें।

बाबासाहेब ने मिल मजदूर संगठन की स्थापना की विशेषकर कपड़ा मिल के मजदूरों के लिए इसमें स्वर्ण हिंदू और अछूत लोगों से अछूतपन का व्यवहार करते थे उन्होंने इस बात का काफी विरोध किया।

इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में दलित समुदाय को आगे लाने के लिए इन बातों का विरोध किया गया एवं संविधान में ऐसे प्रावधान रखे गए जो दलित समुदाय को ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति को यह योग्यता व स्वतंत्रता प्रदान करता है जिससे वह हर क्षेत्र में अपना निजी व्यापार शुरू कर सकें एवं अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सके।

सामाजिक विचार

बाबासाहेब भारतीय समाज व्यवस्थाओं में जो सतह के लोग थे और अछूत या दलित समाज के प्रतिनिधि और नेता थे । इस समाज की सदियों से चली आ रही गुलामी दास्तां को समाप्त करने के लिए इस समाज की दृष्टि से उन्होंने अपना चिंतन किया और कार्य शुरू किया अंत्यस अछूत समाज उनके चिंतन का मुख्य आधार था वह अछूतपन को सीधी सीधी मामूली बात नहीं बल्कि अछूतों को दरिद्रता और चिंता की जननी मानते हैं।

जात पात और अछूतपन के विनाश के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर का दृष्टिकोण क्रांतिकारी था वे सुधारवाद या हृदय परिवर्तन वाद पर विश्वास नहीं करते थे उन्होंने सुधार की दृष्टि से प्रारंभिक काल में कुछ प्रयास जरूर किये, लेकिन यह सारा सुधार स्वर्ण ऊंची जातियों की दया हृदय परिवर्तन पर निर्भर था और इसमें मूल परिवर्तन के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे सुधार वाद और हृदय परिवर्तन से जाति समस्या अछूतपन का मसला हल होने वाला नहीं था।

1930 के पहले गोलमेज परिषद में भारत के अछूत समाज के राजनीतिक नेता के रूप में प्रतिनिधित्व किया एवं इंडियन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को जो निवेदन दिया था उसमें स्वतंत्र भारत के संविधान में अछूतों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से 8 बातों को उसमें सम्मिलित करने की बात रखी–

(1)समान नागरिकता

(2)समान अधिकार होना चाहिए

(3)जाति दोष पूर्ण व्यवहार विरोधी कानून राज्य संविधान में ही होना चाहिए

(4)विधि मंडल में पर्याप्त प्रतिनिधित्व

(5)तीनों सेनाओं में अछूतों की भर्ती

(6)नौकरियों में प्रवेश अधिकार पृथक चुनाव

(7)पृथक निर्वाचन संघ एवं सुरक्षित सीटें

(8)गवर्नर जनरल के मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व।
इन बातों पर उन्होंने ब्रिटिश सत्ताधारियों का ध्यान आकर्षित किया । अछूतों को उनके

मानवीय अधिकार दिलाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी जान से जुटे थे भारत में अछूतों पर कहर बरसाने वाली अमानवीय व सामंतवादी नीतियों का उन्होंने खुलासा किया उन्होंने सदस्यों से आग्रह किया कि दलितों को न्यायोचित (उचितन्याय) दिलाया जाए।

बाबासाहेब ने 1948 मैं " हिंदू कोड बिल" संसद में पेश किया इसमें उत्तराधिकार, गुजारा, विवाह, तलाक, नाबालिकपन, गोद लेना और अभिभावक के कानून पर विचार किया गया बाबा साहब ने "हिंदू कोड बिल'' का स्पष्टीकरण देते हुए कहा था यदि आप हिंदू प्रणाली हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज की रक्षा करना चाहते हैं तो उसमें जो कमियां पैदा हो गई है उनको सुधारने में तनिक भी हिचकिचाय नहीं। हिंदू कोड बिल हिंदू प्रणाली के केवल उन्हीं अंशों का सुधार चाहता है जो विकृत हो गए हैं।

इस प्रकार बाबा साहब ने समाज में व्याप्त कुरीति एवं परंपरागत ढांचे को सुधारने के लिए प्रयास किए जिससे दलित वर्ग को समाज में न्याय मिल सके और करीब–करीब यह प्रयास आज के समय में पूर्णतया सफल ही सिद्ध हो रहे हैं।

राजनीतिक विचार

बाबा साहब के आर्थिक एवं सामाजिक विचारों के अतिरिक्त राजनीतिक मसले पर भी अनेक विचार व्यक्त किए गए थे जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों से संबंधित हैं ।

इन्होंने राजनीतिक विचारों का कार्यान्वयन करने हेतु उपसमितियों के माध्यम से सरकार को कुछ उपाय सुझाए जिनका भारतीय संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों शब्दों के माध्यम से प्रावधान कर कार्यान्वयन किया गया जिससे राजनीतिक स्थिति में धीरे–धीरे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं उप समिति संख्या तीन में अल्पसंख्यक की रिपोर्ट के परिशिष्ट में बाबा साहेब द्वारा प्रस्तुत किए गए राजनीतिक उपाय निम्नलिखित हैं –

(1) अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद का अधिवेशन नागपुर में 30, 31 मई और 1 जून 1920 को हुआ इसके अंतर्गत कहा गया कि दलितों को अन्य नागरिकों की तरह सभी अधिकार मिलने चाहिए।

(2) भारत के सभी नागरिक कानून की निगाह में एक समान है और सब के लिए अधिकार बराबर है।

(3) दलितों का मानना है कि उनके अधिकार महज काजगी नहीं है तो उनका हनन करने वालों को दंड देने की व्यवस्था की जाए ।

(4) नागरिकता हनन का अपराध यदि कोई व्यक्ति किसी को सार्वजनिक स्थलों के उपयोग पर प्रतिबंधित करेगा तो उसके उसे 5 वर्ष तक के कारावास की सजा अथवा दोनों दी जाएंगी।

(5) 1928 साइमन कमीशन को दलितों के राजनीतिक अधिकारों की मांग पत्र आमंत्रित किया इसमें महत्वपूर्ण मांग यह थी कि सार्वजनिक चुनाव के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाएं एवं

दलित समाज जो कि सदियों से राजनीतिक जीवन से बहिष्कृत था उसकी शिक्षा होनी चाहिए।

(6) सन 1936 में स्वतंत्र मजदूर पक्ष की स्थापना की इसकी स्थापना व्यापार राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की गई थी यह भारत के दलितों का व्यापक राजनीतिक समझ के अधिकार पर पहला राजनीतिक दल या संगठन था इस चुनाव में इस पक्ष ने विशेष उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की थी और इस तरह उन्होंने दलितों में राजनीतिक चेतना पैदा की।

इस प्रकार बाबा साहब ने दलितों को समाज व राजनीतिक में समानता दिलाने के लिए बहुत संघर्ष व भरसक प्रयास किए जिसे हमने निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देखा इन बिंदुओं के प्रावधान भारतीय संविधान में रखे गए जो कानूनी तौर पर वैधानिक है एवं सभी को समान नागरिकता स्वतंत्रता प्रदान करते हैं ।

उद्देश्य

इन विचारों के बारे में जानने के पीछे निग्न उद्देश्य हैं –

(1) शोषितों, दलितों अर्थात् शूद्र एवं अछूत वर्गों की उत्पत्ति के सामाजिक में ऐतिहासिक कारणों का अन्वेषण ।

(2) दलितों का शोषण तथा सवर्णों का हित रक्षण करने वाली परंपरागत सामाजिक संरचना एवं उसके निर्णायक सिद्धांतों का वैज्ञानिक परीक्षण ।

(3) परंपरागत सामाजिक व्यवस्था का आधार देने वाली विचारधारा की तक पूर्ण व्याख्या।

निष्कर्ष

बाबा साहेब की सामाजिक न्याय की धारणा एक ऐसी जीवन पद्धति है जिसके अनुसार समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उचित स्थान मिलना चाहिए और उचित स्थान के निर्धारण का आधार योग्यता है जिसके अनुसार किसी को सही सही न्याय मिले। बाबा साहेब की सामाजिक न्याय की धारणा में सभी को सम्मान, प्रतिष्ठा के साथ जीवन यापन का अधिकार, हिंसा का निषेध ा, संविधान के प्रति निष्ठा, विधि के समक्ष समानता, कुछ प्राथमिकताओं सहित सभी को अवसरों की समता, संपत्ति शिक्षा की उपलब्धता और अन्ततः न्याय, स्वतंत्रता समता, भ्रातत्व तथा राष्ट्रीय एकता सहित मानव व्यक्ति की गरिमा महत्वपूर्ण तत्व है । इस प्रकार बाबा साहेब द्वारा संविधान निर्माण के समय दलित वर्ग के लिए विशेष क्षेत्रों में कई ऐसे प्रावधान रखें जो वर्तमान समय में बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुए एवं आज भी उन्हीं के विचारों को दोहराते हुए उनके नक्शे कदम पर संविधान का प्रावधान सुचारू रूप से चल रहा है ।

संदर्भ ग्रंथ

1 डॉक्टर ओम प्रकाश टांक *"आधुनिक भारतीय चिंतन"* राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2006 पृ. 127 ।

2 बी.एन. ओझा, *''भारतीय आर्थिक चिंतन''* जयपुर, नई दिल्ली 2007 पृ. 16.1 - 16.15

3 प्रोफेसर एम.एल. छीपा, शंकर लाल शर्मा "*भारतीय आर्थिक चिंतन*" कॉलेज बुक हाउस, जयपुर 2002 - 2009 पृ. 334

4 विद्युत चक्रवर्ती, राजेंद्र कुमार पांडे "*आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन*" , नई दिल्ली 2016 पृ 93

5 थॉमसपंथम केनेथ एवं डॉयच्च *''आधुनिक भारत में राजनीतिक विचार*" , नई दिल्ली 2017; पृ.153